



भारतीय रिज़र्व बैंक

निर्गम विभाग

बेंगलूरु

ई-टेंडर: कर्नाटक राज्य में बैंक नोट्स और सिक्कों के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में पूर्ण रूप से ढकी कंटेनर ट्रक/वाहनों की आपूर्ति

आरबीआई/बेंगलूरु/निर्गम/1/26-27/ईटी/40

भारतीय रिज़र्व बैंक

निर्गम विभाग

नृपथुंगा रोड

बेंगलूरु-560001



अस्वीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक), मुद्रा विभाग, बेंगलूरु द्वारा यह दस्तावेज रुचि रखने वाले पक्षों को अनुबंध की पृष्ठभूमि सूचना प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। बैंक ने इस दस्तावेज में निहित सूचना की तैयारी में यथोचित सावधानी बरती है तथा इसे पूर्णतः उचित मानता है, तथापि बैंक या इसके किसी भी अधिकारी, एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों द्वारा इस दस्तावेज में निहित सूचना या इसके साथ प्रदान की गई किसी भी सूचना की संपूर्णता या शुद्धता के संबंध में कोई वारंटी या स्पष्ट/निहित प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता।

यह सूचना व्यापक उद्देश्य से प्रस्तुत नहीं है। रुचि रखने वाले पक्षों को अपनी स्वयं की जाँच करना आवश्यक है तथा टेंडर जमा करते समय प्रतिवादी/प्रतिभागियों से लिखित रूप में पुष्टि करने का अनुरोध किया जाएगा कि उन्होंने स्वयं जाँच की है तथा वे केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई सूचना पर निर्भर नहीं हैं। यह सूचना इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक या इसके किसी भी अधिकारी, एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक अनुबंध को आगे बढ़ाने से इनकार करने, अनुबंध की विन्यास में परिवर्तन करने, इस दस्तावेज में उल्लिखित समयसारणी में संशोधन करने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया/प्रकरण में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह भी अधिकार सुरक्षित रखता है कि रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करे। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।



विषय-सूची

भाग I	निविदा आमंत्रण सूचना (NIT)
भाग II	ई-प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण निर्देश
भाग III	बोलीदाताओं के लिए निर्देश (ITB)
भाग IV	अनुबंध की शर्तें एवं प्रतिबंध
भाग V	निविदा फॉर्म – भाग-I (तकनीकी बोली)
भाग VI	तकनीकी बोली के साथ जमा करने हेतु दस्तावेजों की सूची
भाग VII	भाग-I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन
भाग VIII	निविदा फॉर्म – भाग-II (मूल्य बोली)



भारतीय रिज़र्व बैंक

निर्गम विभाग

बेंगलूरु

भाग - I

निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

(केवल ई-खरीद के माध्यम से)

निविदा अनुसूची (एसओटी)

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "आरबीआई" के रूप में संदर्भित) द्वारा सिक्का बैग और नोट बॉक्स के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए पात्र बोलीदाताओं से दो भाग की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2. विस्तृत निविदा सूचना के साथ ई-निविदा एमएसटीसी की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/eproc> और बैंक की वेबसाइट पर <https://www.rbi.org.in> पर मेनू "निविदाएं" के तहत उपलब्ध है।
3. सभी इच्छुक बोलीदाताओं को एमएसटीसी के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा और 15 मई, 2026 को सुबह 10.00 बजे या उससे पहले सभी सहायक दस्तावेजों के साथ उपरोक्त संदर्भित ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से अपनी बोलियां जमा करनी होंगी। तकनीकी बोलियां 15 मई, 2026 को सुबह 11.00 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए मूल्य बोलियों की प्रारंभिक तिथि ऐसे सभी विक्रेताओं को लिखित रूप में सूचित की जाएगी, जिसमें निर्धारित उद्घाटन के लिए प्राप्त की जाने वाली पावती होगी।
4. कार्य की अनुमानित लागत लगभग 2.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है; हालांकि, वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।



5. केवल वे लोग जो योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं वे ही इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं। चयनित बोलीदाता इक्कीस महीने की अवधि के लिए यानी 1 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक सिक्का बैग और नोट बॉक्स के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिक प्रदान करेंगे, जिसे नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन।

6. ऊपर बताई गई किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए संचालित हो जाएगा। निविदा दस्तावेज www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com की वेबसाइटों से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त निविदा पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से आरबीआई की वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

7. ऊपर विनिर्दिष्ट सेवाएं सफल बोलीदाता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, बेंगलुरु को प्रदान की जानी चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
10/3/8 नृपथुंगा रोड
बेंगलुरु – 560 001



ई-निविदा प्रक्रिया की अनुसूची

क्र. सं.	ई-टेंडर अनुसूची	अनुसूची दिनांक और समय
1	ई-टेंडर नं.	आरबीआई/बेंगलूरु/निर्गम/1/26-27/ईटी/40
2	कार्यों का विवरण	कर्नाटक राज्य में बैंक नोटों और सिक्कों के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में पूर्णतः आवरित कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति हेतु निविदा
3	निविदा का तरीका	एमएसटीसी ई-कॉमर्स साइट पर ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (www.mstcecommerce.com/eprocn) (ऑनलाइन - भाग I: तकनीकी बोली एवं भाग II: मूल्य बोली)
4	कार्य का अनुमानित मूल्य	01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक इक्कीस महीने अनुबंध अवधि हेतु प्रतिवर्ष लगभग ₹2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये मात्र)। वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।
5	निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) का उपलब्धता दिनांक	24 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार, दोपहर 12:00 बजे)
6	लेनदेन शुल्क	लागू शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड को ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
7	बयाना धन जमा (EMD)	₹4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र) नाम: आरबीआई बेंगलूरु खाता संख्या: 8692299 (बयाना धन जमा प्राप्त)



		आईएफएससी कोड: RBIS0BGPA01 (दोनों शून्य)
8	www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली के सबमिशन के लिए ई-टेंडर की शुरुआत की तारीख	24 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार, दोपहर 12:00 बजे)
9	ऑफ़लाइन – प्री-बिड मीटिंग	30 अप्रैल, 2026 (गुरुवार, सुबह 11:00 बजे) स्थान: निर्गम विभाग, प्रथम मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलुरु
10	ई-टेंडर बंद करने की अंतिम तिथि	15 मई, 2026 (शुक्रवार, सुबह 10:00 बजे)
11	बयाना धन जमा (EMD) की अंतिम तिथि	15 मई, 2026 (शुक्रवार, सुबह 10:00 बजे)
12	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	15 मई, 2026 (शुक्रवार, सुबह 11:00 बजे)
13	मूल्य बोली खोलने की तिथि	तकनीकी बोली की समीक्षा के पश्चात् योग्य घोषित निविदाकर्ताओं को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक सबसे कम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा किसी भी बोली को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी ई-निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

नोट: सभी निविदाकर्ता ध्यान दें कि ई-निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो केवल भारतीय रिजर्व बैंक और एमएसटीसी की उपरोक्त वेबसाइटों (www.rbi.org.in एवं www.mstcecommerce.com) पर अधिसूचित किया जाएगा; समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।



भाग - II

ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

सभी आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा जमा करने से पूर्व इस निविदा की शर्तों एवं प्रतिबंधों को अवश्य पढ़ें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

A) पंजीकरण:

यह प्रक्रिया एमएसटीसी ई-प्रॉक्योरमेंट पोर्टल से आपूर्तिकर्ता के निःशुल्क पंजीकरण को शामिल करती है। केवल पंजीकरण के बाद, आपूर्तिकर्ता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से सबमिट कर सकते हैं। तकनीकी बोली एवं मूल्य बोली के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी। आपूर्तिकर्ता के पास कक्षा III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। आपूर्तिकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई बेंगलुरु ऐसी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

नोट: तकनीकी बोली और मूल्य बोली को www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन सबमिट करना आवश्यक है:

(i) आपूर्तिकर्ताओं को निम्नलिखित क्रम में ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा: www.mstcecommerce.com ⇒ e-Procurement ⇒ PSU/Govt. depts. ⇒ RBI लोगो चुनें ⇒ Register as Vendor ⇒ विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड बनाएं ⇒ Submit करें।

(ii) आपूर्तिकर्ताओं को अपने पंजीकरण फॉर्म में दिए गए ईमेल पते पर पंजीकरण की पुष्टि करने वाला सिस्टम द्वारा उत्पन्न स्वचालित ईमेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, आपूर्तिकर्ता ई-टेंडर की निर्धारित समय सीमा से पूर्व आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

(i) बाबू वी, सहायक प्रबंधक



ईमेल: babuv@rbi.org.in | फोन: 080-22180114 | मोबाइल: 9840753271

(ii) मोहनकुमरा एस, सहायक

ईमेल: mohanakumara@rbi.org.in | फोन: 080-22180114

(iii) दर्शन एम एस, सहायक

ईमेल: darshanms@rbi.org.in | फोन: 080-22180114

संपर्क व्यक्ति (MSTC लिमिटेड):

1. सुमाना माइटी – 983115525

2. सत्य साई – 9441487624

गूगल हैंगआउट आईडी (टेक्स्ट चैट हेतु): mstceproc@gmail.com

MSTC सेंट्रल हेल्पडेस्क: 033-23400020/23400021/23400022

ईमेल: helpdesk@mstcindia.co.in

B) प्रणाली आवश्यकताएं:

(i) विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम

(ii) आईई-7 या उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र

(iii) हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल सर्टिफिकेट

(iv) सिस्टम में नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर डाउनलोड एवं स्थापित करना आवश्यक है।

(v) डीएससी (DSC) को "साइनर बॉक्स" में दिखाने हेतु "प्रोटेक्टेड मोड" अक्षम करें:

टूल्स → इंटरनेट ऑप्शन्स → सिक्योरिटी → "एनेबल प्रोटेक्टेड मोड" के चेक बॉक्स से टिक हटाकर मोड अक्षम करें।

अन्य सेटिंग्स:

टूल्स → इंटरनेट ऑप्शन्स → जनरल → "ब्राउज़िंग हिस्ट्री/डिलीट ब्राउज़िंग हिस्ट्री" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें → टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स → "प्रत्येक बार जब मैं वेबपेज देखूं" सक्षम करें।

सक्रिय करें: टूल्स → इंटरनेट ऑप्शन्स → कस्टम लेवल में सभी एक्टिवएक्स नियंत्रण सक्षम करें तथा "पॉप-अप ब्लॉकर का उपयोग" अक्षम करें। (सेटिंग्स www.mstcecommerce.com से रन करें)



2. तकनीकी बोली एवं मूल्य बोली को www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। निविदाएं निर्धारित तारीख एवं समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

3. निविदा में समस्त प्रविष्टियां अस्पष्टता रहित ऑनलाइन तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रारूपों में की जानी चाहिए।

4. लेनदेन शुल्क संबंधी विशेष नोट:

आपूर्तिकर्ताओं को वेंडर लॉगिन में "मेरा मेनू" के अंतर्गत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। आपूर्तिकर्ताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट टेंडर का चयन करना होगा। आपूर्तिकर्ता को NEFT या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। NEFT का चयन करने पर, आपूर्तिकर्ता एक फॉर्म भरकर चालान उत्पन्न करेगा। आपूर्तिकर्ता को चालान पर छपे विवरणों के अनुसार लेनदेन शुल्क की राशि का भुगतान करना होगा, बिना उसमें किसी परिवर्तन किए। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, आपूर्तिकर्ता को क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा होगी। जब भुगतान MSTC के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वचालित रूप से अधिकृत हो जाएगा, और आपूर्तिकर्ता को एक सिस्टम द्वारा उत्पन्न ईमेल प्राप्त होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना आपूर्तिकर्ता को ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के समाप्ति समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क जमा करें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

5. टेंडर/सुधारात्मक सूचना से संबंधित अपलोड की गई जानकारी केवल टेंडर के अंतिम निपटान तक की प्रक्रिया के दौरान ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। अतः आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनका दिया गया कॉर्पोरेट ईमेल आईडी MSTC के साथ आपूर्तिकर्ता पंजीकरण के समय मान्य और अपडेटेड हो। आपूर्तिकर्ताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) की मान्यता सुनिश्चित करें।

6. NIT में उल्लिखित निर्धारित तिथि और समय के बाद ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।

7. ई-निविदा में बोली दान:



a) ईएमडी, निविदा शुल्क एवं लेनदेन शुल्क जमा करना अनिवार्य है (शुल्क अनवर्तनीय; ईएमडी पर ब्याज नहीं) ।

b) तकनीकी एवं मूल्य बोली इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जाएगी।

c) लेनदेन शुल्क जमा करने वाले आपूर्तिकर्ता ही निम्न प्रक्रिया से बोली दे सकते हैं:

www.mstcecommerce.com → e-procurement → PSU/Govt. depts → RBI के तहत लॉगिन → माई मेनू → Auction Floor Manager → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट चयन

d) बोली मंच खुलने के तुरंत बाद जावा एप्लिकेशन चलाना अनिवार्य है। फिर सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरकर सहेजें। तदोपरांत तकनीकी बोली भरें।

e) तकनीकी बोली सहेजने के बाद मूल्य बोली का लिंक सक्रिय होगा। दोनों बोलियां सहेजने के उपरांत "अंतिम सबमिशन" बटन दबाएं।

f) दस्तावेज़ अपलोड करने हेतु "Attach Doc" बटन का उपयोग करें।

g) बोली जमा करते समय अपना आईडी, पासवर्ड एवं डिजिटल सर्टिफिकेट अवश्य उपयोग करें।

h) प्रक्रिया में सभी आपूर्तिकर्ता पूर्णतः गुप्त रहेंगे।

i) बोली मंच निर्धारित तिथि एवं अवधि तक खुला रहेगा।

j) सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां आपूर्तिकर्ता के लिए बाध्यकारी होंगी।

k) डिजिटल सर्टिफिकेट के बिना जमा बोली प्रणाली द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।

l) खरीदार को निविदा को पूर्ण/आंशिक रूप से रद्द/स्वीकार/वापस लेने/बढ़ाने का अधिकार है, बिना कारण बताए।

m) निविदा दस्तावेज़ की शर्तों में कोई भिन्नता स्वीकार्य नहीं है।

8. इस निविदा से उत्पन्न कोई भी आदेश, उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

9. तकनीकी एवं वाणिज्यिक शर्तों में कोई भिन्नता अनुमेय नहीं है।

10. निविदा आमंत्रणकर्ता को बिना कारण बताए ई-निविदा रद्द करने या बोली प्राप्ति की तिथि बढ़ाने का अधिकार है।

11. बोली देने से पूर्व, आपूर्तिकर्ता www.mstcecommerce.com/eprochome पर वेंडर गाइड एवं वीडियो अवश्य देखें।



भाग - III

निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश

A. सामान्य	
1. निविदा का क्षेत्र	<p>निविदाकर्ता को बैंकनोटों के बॉक्सों और/या सिक्कों के बैगों के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में पूर्णतः आवृत्त कंटेनर ट्रक/वाहन उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी:</p> <p>पर्याप्त मोटाई वाली धातु की वाहन पुस्तिका, जो गोली/हेर-फेर से बचाव वाली हो (वरीयता के साथ)</p> <p>सुरक्षित हेर-फेर-रोधी द्विगुण ताला व्यवस्था</p> <p>ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS), CCTV और हूटर से सुसज्जित नोट बॉक्सों (औसत आकार लगभग 82 x 71 x 32 सेमी, वजन लगभग 140 किग्रा) के लिए न्यूनतम 80 बॉक्स भरने की क्षमता</p> <p>ये वाहन निम्नलिखित स्थानों से परिवहन हेतु उपयुक्त होने चाहिए:</p> <p>(i) रेलवे स्टेशन/विमानक्षेत्र/प्रेस/सरकारी मिंट/किसी स्थान/किसी मुद्रा भंडार या आरबीआई के किसी भी मुद्रा जारी कार्यालय से आरबीआई, बेंगलूरु तक।</p> <p>(ii) आरबीआई, बेंगलूरु से अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित मुद्रा भंडारों तक या आरबीआई, बेंगलूरु द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक (सिक्कों के परिवहन की स्थिति में वाहक का जोखिम)।</p> <p>(iii) आरबीआई, बेंगलूरु के अधिकार क्षेत्र में स्थित मुद्रा भंडारों से आरबीआई, बेंगलूरु/या आरबीआई, बेंगलूरु द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक।</p>



	<p>(iv) आरबीआई, बेंगलूरु से बाहरी कार्यालयों तक (वाहक का जोखिम)</p> <p>I</p>
2. निषिद्ध प्रथाएँ	<p>बैंक यह आवश्यकता रखता है कि निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता एवं अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि के दौरान नैतिक मानकों का उच्चतम स्तर बनाए रखें। इस नीति के अंतर्गत:</p> <p>(a) इस खंड के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित शब्दों को निषिद्ध प्रथाएँ माना जाएगा:</p> <p>i. "भ्रष्टाचारपूर्ण प्रथा" - किसी अन्य पक्ष की क्रियाओं को गलत तरीके से प्रभावित करने हेतु कुछ मूल्यवान वस्तु का प्रस्ताव, देना, प्राप्त करना या मांगना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से;</p> <p>ii. "धोखाधड़ीपूर्ण प्रथा" - किसी भी कृत्य या चूक, जिसमें गलत जानकारी देना शामिल हो, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी पक्ष को गुमराह करने या वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने/दायित्व से बचने का प्रयास करता हो;</p> <p>iii. "बलपूर्वक प्रथा" - किसी पक्ष या उसके संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या उसकी धमकी देने का प्रयास, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी पक्ष की क्रियाओं को गलत तरीके से प्रभावित करने हेतु;</p> <p>iv. "मिलीभगतपूर्ण प्रथा" - दो या अधिक पक्षों के बीच ऐसी व्यवस्था जो किसी अन्य पक्ष की क्रियाओं को गलत तरीके से प्रभावित करने हेतु गलत उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बनाई गई हो।</p> <p>(b) यदि बैंक निर्धारित करता है कि निविदा जीतने वाले निविदाकर्ता ने निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं में संलिप्तता दर्शाई है, तो बैंक उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है।</p>



	<p>(c) यदि बैंक निर्धारित करता है कि कोई निविदाकर्ता निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा या अनुबंध के निष्पादन में निषिद्ध प्रथाओं में संलिप्त था, तो बैंक उसे अनिश्चित काल या निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।</p>
3. पात्रता मानदंड	<p>निविदाकर्ता अनुभवी, संसाधन-समृद्ध, वित्तीय रूप से स्थिर एवं लाइसेंस प्राप्त संस्था (कंपनी/साझेदारी/स्वामित्व फर्म आदि) होना चाहिए तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:</p> <p>(i) निविदाकर्ता के पास केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों के साथ समान प्रकार की सेवाओं (एकल निविदा/अनुबंध के तहत पूर्ण किया गया कार्य) का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए (बोली खोलने से पूर्व मार्च माह तक) । सेवा प्रदान करने की सूची, जिसमें केंद्र/राज्य/पीएसयू/राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सेवा अवधि शामिल हो, प्रस्तुत की जानी चाहिए।</p> <p>(ii) निविदाकर्ता ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित) में निम्नलिखित में से किसी एक को पूरा किया होना चाहिए:</p> <p>a) 40% (चालीस प्रतिशत) से कम नहीं की लागत वाली तीन समान पूर्ण सेवाएँ;</p> <p>b) 50% (पचास प्रतिशत) से कम नहीं की लागत वाली दो समान पूर्ण सेवाएँ; या</p> <p>c) 80% (अस्सी प्रतिशत) से कम नहीं की लागत वाली एक समान पूर्ण सेवा।</p> <p>(iii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान (31 मार्च तक समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष) अनुबंध की अनुमानित लागत का न्यूनतम 30% औसत</p>



	<p>वार्षिक कारोबार, जिसे लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों से समर्थित किया गया हो।</p> <p>(iv) नवीनतम लेखा-परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार धनात्मक निट वर्थ। निविदाकर्ता को बैंक द्वारा प्रमाणित सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना चाहिए।</p> <p>(v) कम से कम 5 पूरी तरह से ढकी कंटेनर ट्रक/वाहन, जिनका शरीर पर्याप्त मोटाई वाला धातु का हो, पसंद के रूप में गोली/हेराफेरी-रोधी हो, सुरक्षित हेराफेरी-रोधी डबल लॉकिंग व्यवस्था से लैस हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS), सीसीटीवी और हूटर से सुसज्जित हो तथा जिनकी न्यूनतम भंडारण क्षमता 80 नोट बॉक्सों की हो, जिनका औसत आकार लगभग (82 x 71 x 32) सेमी और वजन लगभग 140 किलोग्राम है।</p> <p>(vi) निविदाकर्ता के पास पैन नंबर एवं जीएसटीएन नंबर होना आवश्यक है।</p> <p>(vii) अनुबंध प्राप्ति की स्थिति में निविदाकर्ता को कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि रखना होगा।</p> <p>(viii) निविदाकर्ता को किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता रखना चाहिए, जिसका नाम एवं खाते का प्रकार बैंक को बताया जाना चाहिए।</p> <p>नोट: निविदाकर्ता को अपनी योग्यता/पात्रता संबंधी दावों का समर्थन करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।</p>
<p>4. निविदा दस्तावेज का संशोधन</p>	<p>4.1 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय, बैंक आरबीआई वेबसाइट (www.rbi.org.in)/MSTC पोर्टल पर</p>



	<p>संशोधन/सुधारपत्र जारी करके इस दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। जारी किए गए किसी भी संशोधन/सुधारपत्र इस दस्तावेज का हिस्सा होंगे।</p> <p>4.2 निविदाकर्ताओं को संशोधनों/सुधारपत्रों को अपनी निविदा तैयार करते समय ध्यान में रखने हेतु पर्याप्त समय देने के लिए, बैंक अपनी विवेकाधिकार से निविदा प्रस्तुत करने की समय सीमा को बढ़ा सकता है।</p>
B. निविदा की तैयारी	
5. निविदा प्रस्तुत करने की लागत	निविदाकर्ता अपनी निविदा की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा। निविदा प्रक्रिया के आचरण या परिणाम के बावजूद, बैंक इन लागतों के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।
6. निविदा को संरचित करने वाले दस्तावेज	<p>6.1 निविदा निम्नलिखित से संरचित होगी:</p> <p>भाग I: निविदा आमंत्रण सूचना (NIT)</p> <p>भाग II: ई-खरीद हेतु महत्वपूर्ण निर्देश</p> <p>भाग III: निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश (ITB)</p> <p>भाग IV: अनुबंध की शर्तें</p> <p>भाग V: निविदा फॉर्म - भाग-I (तकनीकी बोली)</p> <p>भाग VI: तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची</p> <p>भाग VII: भाग-I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन</p> <p>भाग VIII: निविदा फॉर्म - भाग-II (मूल्य बोली)</p>
7. निविदा पत्र	निविदाकर्ता को ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कक्षा III डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए निविदा प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सभी खाली स्थानों को अपेक्षित जानकारी से भरा जाना चाहिए।



8. निविदाकर्ता की पात्रता स्थापित करने वाले दस्तावेज	भाग III (अनुच्छेद 3) के अनुसार अनुबंध को पूर्ण करने की पात्रता स्थापित करने हेतु, निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेज/रिकॉर्ड/जानकारी प्रस्तुत करने होंगे।
9. निविदा की वैधता अवधि	9.1 निविदा की वैधता अवधि निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 दिनों तक होगी। 9.2 अपवादात्मक परिस्थितियों में, वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व, बैंक निविदाकर्ताओं से अपनी निविदा की वैधता अवधि बढ़ाने का लिखित अनुरोध कर सकता है।
10. निविदा सुरक्षा के रूप में ईमानदारी राशि (EMD)	10.1 ई-निविदा प्रक्रिया में ऑनलाइन बोली लगाने के योग्य होने के लिए, निविदाकर्ताओं को आवश्यक ईमानदारी राशि (EMD) और लेन-देन शुल्क जमा करना आवश्यक है। लेन-देन शुल्क अवापसीय है। EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल आपूर्तिकर्ता/विक्रेता की EMD को निविदा आमंत्रण करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस किया जाएगा। 10.2 ईमानदारी राशि के रूप में ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये मात्र) को आरबीआई, बेंगलूरु को NEFT/RTGS के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। EMD राशि भेजने हेतु खाता विवरण निम्नानुसार हैं: राशि: ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये मात्र) नाम: RBI बेंगलूरु खाता संख्या: 8692299 (ईमानदारी राशि प्राप्त) IFSC कोड: RBIS0BGPA01 (दोनों शून्य)
C. निविदाओं का प्रस्तुति एवं खुलासा	
11. निविदा की प्रस्तुति, मुहर लगाना एवं अंकित करना	11.1 इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को ई-निविदा संबंधी निर्देशों में वर्णित प्रक्रिया का पालन करना होगा।



	<p>11.2 निविदाकर्ता निर्धारित प्रारूप (भाग-I) में तकनीकी बोली के साथ भाग VI में दी गई दस्तावेजों की प्रतियाँ एवं निर्धारित प्रारूप (भाग-II) में मूल्य बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी जानकारी सहित ई-निविदा अंतिम तिथि तक निर्धारित समय पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।</p> <p>11.3 यदि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो निविदा अस्वीकार करने की स्थिति में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।</p>
12. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	<p>12.1 निविदाएँ इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दी गई तिथि एवं समय से पहले ऑनलाइन भरी जानी चाहिए।</p> <p>12.2 बैंक अपनी विवेकाधिकार से निविदा दस्तावेज़ को संशोधित करके प्रस्तुति की अंतिम तिथि को बढ़ा सकता है।</p>
13. विलंबित निविदाएँ	ई-पोर्टल पर अंतिम तिथि के बाद की गई कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
14. निविदा खुलासा	बैंक निर्धारित तिथि पर निविदाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से खुलासा करेगा।
D. निविदाओं की जाँच	
15. गोपनीयता	निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या इस प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों को अनुबंध आवंटन संबंधी जानकारी सभी निविदाकर्ताओं को सूचित किए जाने तक प्रकाशित नहीं की जाएगी।
16. निविदाओं की स्पष्टीकरण	16.1 निविदाओं की जाँच, मूल्यांकन, तुलना एवं निविदाकर्ताओं की पात्रता की पुष्टि हेतु, बैंक अपनी विवेकाधिकार से किसी भी निविदाकर्ता से लिखित रूप में स्पष्टीकरण मांग सकता है। बैंक के अनुरोध के बिना प्रस्तुत किया गया कोई स्पष्टीकरण विचाराधीन नहीं लिया जाएगा। निविदा की कीमतों या मूल विषय-वस्तु में परिवर्तन की मांग या प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, सिवाय बैंक द्वारा मूल्यांकन के दौरान पाए गए अंकगणितीय त्रुटियों को सही करने के लिए।



	16.2 यदि निविदाकर्ता बैंक के अनुरोधित समय सीमा के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
E. टेंडर मूल्यांकन और तुलना	
17. निविदाकर्ता की योग्यता	बैंक इस बात का निर्धारण करेगा कि चयनित टेंडरदाता अनुभाग III (पैराग्राफ 3) के अनुसार योग्यता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।
18. टेंडरों की समीक्षा/मूल्यांकन	<p>टेंडर, जिसमें दो भाग होंगे, अर्थात् भाग I "कार्य का क्षेत्र और वाणिज्यिक शर्तें" और भाग II "मूल्य बोली", ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग जमा किए जाएंगे।</p> <p>i) भाग I: "कार्य का क्षेत्र और वाणिज्यिक शर्तें" निम्नलिखित के साथ जमा किया जाएगा:</p> <p>a. ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये मात्र) की राशि का आश्वासन धन जमा (EMD) NEFT/RTGS के माध्यम से। इस जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।</p> <p>b. अनुभाग VI में उल्लिखित दस्तावेज।</p> <p>ii) भाग II: "मूल्य बोली" केवल भारतीय रुपये में मूल्य विवरण के साथ जमा किया जाएगा, जिसमें अनुभाग VIII में निर्दिष्ट प्रारूप में विस्तृत मूल्य विवरण अंकों और शब्दों में शामिल होगा। भाग II में कोई अन्य संलग्नक स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाग II में पाए जाने वाले शर्तों या विचलनों को अमान्य माना जाएगा। बोली की दरें अंतिम कार्य के लिए निश्चित और बाध्यकारी होंगी, बिना किसी मूल्य वृद्धि के।</p> <p>iii) भाग I का खुलासा टेंडरदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा।</p> <p>iv) टेंडरों की समीक्षा पहले की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे टेंडर दस्तावेज में निर्दिष्ट आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं। ऐसे टेंडर जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, अस्वीकृत माने जाएंगे।</p> <p>v) केवल उन टेंडरदाताओं के भाग II (मूल्य बोली) का खुलासा किया जाएगा, जिन्हें भाग I की समीक्षा के बाद योग्य पाया गया हो।</p>



	<p>vi) बैंक उस टेंडरदाता को अनुबंध देगा जिसकी बोली टेंडर दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप हो और जिसने अनुमानित लागत के अनुरूप उचित मूल्य प्रस्तावित किया हो।</p> <p>vii) टेंडरों का मूल्यांकन टेंडर दस्तावेज में निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर किया जाएगा। नई शर्तों को समीक्षा के दौरान शामिल नहीं किया जाएगा।</p> <p>viii) कार्य का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>a) यदि एक से अधिक L1 बोलीदाता हैं, तो कार्य को समान रूप से (50:50, 33.3:33.3:33.3 आदि) वितरित किया जाएगा।</p> <p>b) अन्यथा, बैंक की विवेकाधीन, कार्य को L1 और L2 के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, यदि L2 बोलीदाता L1 दर को स्वीकार करता है।</p> <p>c) यदि L2 बोलीदाता L1 दर को स्वीकार नहीं करता, तो L3, L4 आदि को दर मिलाने का अवसर दिया जाएगा।</p> <p>d) यदि कोई भी बोलीदाता L1 दर को स्वीकार नहीं करता, तो शेष कार्य (40%) L1 को दिया जाएगा।</p>
19. बैंक का अधिकार	<p>संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक निम्न का अधिकार रखता है:</p> <ul style="list-style-type: none">• सबसे कम बोली या किसी भी टेंडर को स्वीकार न करना।• किसी भी चरण में किसी या सभी टेंडरों को खारिज करना, बिना कारण बताए।
F. अनुबंध का आवंटन	
20. अनुबंध की अवधि	<p>20.1 बैंक से अपनी टेंडर के स्वीकृति की सूचना प्राप्त करने के बाद, सफल टेंडरदाता अनुबंध को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा/होगी। सफल टेंडरदाता/टेंडरदाताओं को अनुभाग IV में निर्दिष्ट समझौता दस्तावेज की शर्तों एवं अंतिम रूप से निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।</p> <p>20.2 अनुबंध का आवंटन इक्कीस महीने की अवधि (1 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक) के लिए मान्य होगा, जिसे बैंक अपने विवेकानुसार शर्तों एवं नियमों में किसी भी परिवर्तन के साथ/बिना एक वर्ष की अवधि</p>



	के लिए बढ़ा सकता है, यह अनुबंध की शर्तों का संतोषजनक पालन होने की स्थिति में है।
--	--

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

A. सामान्य शर्तें:

- (i) निविदा दस्तावेज की पूर्णता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।
- (ii) उद्धृत दरों के अंकों एवं शब्दों में किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन हेतु शब्दों में दर को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (iii) निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों एवं विवरणों की सत्यापन करना अपेक्षित है। आवश्यक जानकारी/दस्तावेजों के अभाव में निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।

B. निविदाओं की अयोग्यता/अस्वीकृति की स्थितियाँ:

- (i) निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से चयन संबंधी राजनीतिक/बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता का कारण होगा। ऐसी स्थिति में निविदा अस्वीकृत की जाएगी तथा निविदाकर्ता को न्यूनतम एक वर्ष (अधिकतम तीन वर्ष तक) के लिए काली सूची में डाला जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामले अनिर्धारित रहते हैं, तो बाद में पता चलने पर तत्काल अयोग्यता लागू होगी।
- (ii) सभी निविदाएँ संलग्नकों/परिशिष्टों सहित पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, गैर-निर्धारित प्रारूप में प्राप्त निविदाएँ या उचित दस्तावेजी साक्ष्य के बिना बैंक द्वारा स्वतः अस्वीकृत की जाएँगी।
- (iii) फैक्स/ईमेल या अन्य गैर-निर्धारित माध्यम से प्राप्त निविदाएँ स्वतः अस्वीकृत की जाएँगी। इस संबंध में कोई संवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iv) निर्धारित ईएमडी/प्रोसेसिंग शुल्क के बिना या कम राशि से प्राप्त निविदाएँ स्वतः अस्वीकृत की जाएँगी।
- (v) निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाएँ स्वतः अस्वीकृत की जाएँगी।
- (vi) सशर्त निविदाएँ सीधे अस्वीकृत की जाएँगी, किसी अतिरिक्त शर्त पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई निविदा संशोधित/वापस नहीं की जा सकती। निविदा वैधता अवधि की समाप्ति तक निविदा वापस लेने पर ईएमडी जब्त हो जाएगा।
- (viii) वैकल्पिक प्रस्तावों/पूर्णता समय की अनुमति नहीं है।

C. विवाद समाधान:



- (i) अनुबंध या कार्य निष्पादन से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, पक्षों को नोटिस देने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सद्भावना से आपसी चर्चा द्वारा समाधान का प्रयास करना चाहिए।
- (ii) यदि उक्त अवधि में समझौता नहीं होता, तो विवाद मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार मध्यस्थता/सुलह द्वारा अंतिम रूप से निपटाया जाएगा। मध्यस्थ का आदेश पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

D. अप्रत्याशित घटना:

इस दस्तावेज में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि किसी पक्ष के उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों (जैसे: सरकारी कार्रवाई, प्राकृतिक आपदा, हड़ताल, दंगा, आतंकवादी हमला, युद्ध) से देरी होती है, तो वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तथापि, आपूर्तिकर्ता द्वारा हुई देरी से उस पक्ष को देरी के दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी, सिवाय इसके कि ऐसी देरी आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो।

E. अस्वीकरण:

- (i) इस दस्तावेज को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, तथापि निविदाकर्ता स्वयं सत्यापित करें कि दस्तावेज पूर्ण है। किसी विसंगति की तुरंत सूचना दी जाए। यदि निविदा आमंत्रण (NIT) तिथि से 7 दिनों के भीतर कोई सूचना नहीं मिलती, तो दस्तावेज को पूर्ण माना जाएगा।
- (ii) बैंक सभी प्रारूपों एवं परिशिष्टों सहित इस दस्तावेज को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (iii) इस दस्तावेज को अच्छे विश्वास में तैयार किया गया है, तथापि बैंक, उसके कर्मचारी या सलाहकार किसी भी बयान/चूक, सूचना की सटीकता/पूर्णता/विश्वसनीयता से संबंधित कोई प्रतिनिधित्व/गारंटी नहीं देते और किसी कानून के तहत उत्तरदायी नहीं होंगे।

F. गोपनीयता कथन:

- (i) इस निविदा दस्तावेज में निहित या बाद में निविदाकर्ता को प्रदान की गई जानकारी, चाहे मौखिक या लिखित रूप में, इस दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।
- (ii) इस दस्तावेज का उद्देश्य केवल निविदाकर्ता को प्रस्ताव तैयार करने में सहायता प्रदान करना है।
- (iii) यह दस्तावेज प्रत्येक निविदाकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जानकारी शामिल नहीं करता।
- (iv) यह दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता; बैंक के लिए प्रत्येक बोलीदाता की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है।



- (v) प्रत्येक निविदाकर्ता को स्वतंत्र जांच, विश्लेषण एवं आवश्यक स्रोतों से सलाह लेने की सलाह दी जाती है।
- (vi) बैंक एवं कर्मचारी निविदा दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते।
- (vii) यह दस्तावेज एवं उसकी जानकारी गोपनीय है तथा केवल निविदाकर्ता(ओं) के उपयोग हेतु अभिप्रेत है।

भाग - IV

अनुबंध की शर्तें और प्रतिबंध: बैंकनोट एवं सिक्कों के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में पूर्णतः आवृत कंटेनर ट्रक/वाहनों की आपूर्ति के लिए

कार्य का दायरा:

ठेकेदाता पूर्णतः आवृत कंटेनर ट्रक/वाहनों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति करेंगे जिनका धातु निर्मित शरीर पर्याप्त मोटाई का हो, जो गोलीबारी/हस्तक्षेप-प्रतिरोधी होना चाहिए तथा सुरक्षित हस्तक्षेप-प्रतिरोधी दोहरे ताले की व्यवस्था से सुसज्जित हो, जिनमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS), सीसीटीवी एवं हूटर सक्षम हो, बॉक्सों में पैक किए गए बैंकनोटों एवं/या थैलियों में पैक किए गए सिक्कों के परिवहन हेतु निम्नलिखित स्थानों से:

- (i) रेलवे स्टेशन/विमानक्षेत्र/प्रेस/सरकारी मिंट/किसी स्थान/किसी मुद्रा भंडार या RBI के किसी मुद्रा विभाग कार्यालय से RBI, बेंगलूरु।
- (ii) RBI, बेंगलूरु से अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मुद्रा भंडारों तक (सिक्कों के परिवहन के मामले में आपूर्तिकर्ता का जोखिम) या RBI, बेंगलूरु द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक।
- (iii) RBI, बेंगलूरु के अधिकार क्षेत्र में स्थित मुद्रा भंडारों से RBI, बेंगलूरु/या RBI, बेंगलूरु द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक।



(iv) RBI, बेंगलूरु से अन्य स्थानों पर स्थित RBI मुद्रा विभाग कार्यालयों तक (आपूर्तिकर्ता का जोखिम) ।

पात्रता:

ठेकेदाता अनुभवी, संसाधन संपन्न, वित्तीय रूप से स्थिर एवं लाइसेंस प्राप्त संस्था (कंपनी/साझेदारी/मालिकाना चिंता आदि) होना चाहिए तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:

(i) बोली खोलने से पूर्व मार्च माह तक समान प्रकार की सेवाओं (समान कार्य का अर्थ है एकल निविदा/अनुबंध के तहत किया गया प्रत्येक समान संपन्न कार्य) का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव, जो केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक/प्रतिष्ठित संगठनों के लिए हो। उपलब्ध सेवाओं के साथ संबंधित केंद्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची तथा सेवा की अवधि उपलब्ध करानी होगी।

(ii) बोलीदाता ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में (वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित) समान सेवाएँ सफलतापूर्वक निष्पादित/पूर्ण की हों: -

a. तीन समान संपन्न सेवाएँ, जिनमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) से कम न हो; या

b. दो समान संपन्न सेवाएँ, जिनमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) से कम न हो; या

c. एक समान संपन्न सेवा जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) से कम न हो।

(iii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुबंध की अनुमानित लागत का कम से कम **30% औसत वार्षिक कारोबार**, 31 मार्च को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष तक, जिसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित किया गया हो।

(iv) नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार धनात्मक निवल मूल्य। ठेकेदाताओं को बैंक द्वारा प्रमाणित सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जमा करना होगा।



(v) न्यूनतम 5 पूर्णतः आवृत कंटेनर ट्रक/वाहनों का होना, जिनका धातु निर्मित शरीर पर्याप्त मोटाई का हो, जो गोलीबारी/हस्तक्षेप-प्रतिरोधी होना चाहिए, सुरक्षित हस्तक्षेप-प्रतिरोधी दोहरे ताले की व्यवस्था से सुसज्जित हो, जिनमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS), सीसीटीवी और हूटर सक्षम हो तथा जिनकी न्यूनतम भंडारण क्षमता लगभग (82 x 71 x 32) सेमी आकार और लगभग 140 किलोग्राम वजन वाले 80 नोट बॉक्सों की हो।

(vi) ठेकेदाता के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन संख्या होनी चाहिए, यथालागू कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए।

(vii) अनुबंध के सफल आवंटन की स्थिति में, ठेकेदाता को अनुबंध निष्पादन हेतु कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए।

(viii) ठेकेदाता को किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ खाता रखना चाहिए। बैंक को बैंक का नाम और खाते का प्रकार बताना होगा।

नोट: ठेकेदाताओं को आवश्यक योग्यता/पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य जमा करना होगा।

आरंभ / नवीनीकरण:

(i) बैंक द्वारा निविदाओं की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल ठेकेदाता अनुबंध को निष्पादित और लागू करने के लिए बाध्य होंगे। सफल ठेकेदाता निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ समझौता करेंगे।

(ii) अनुबंध इक्कीस महीने के लिए वैध होगा (अर्थात् 01 जुलाई 2026 - 31 मार्च 2028), जिसे बैंक अपनी इच्छानुसार एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकता है, शर्तों और प्रतिबंधों में किसी भी परिवर्तन के साथ/बिना, अनुबंध की शर्तों और प्रतिबंधों के संतोषजनक निष्पादन के अधीन। उसके बाद संबंधित सेवा हेतु नई निविदा के लिए तदर्थ बोली की जा सकती है।

(iii) जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली हो, तो बैंक अनुबंध के विस्तार के मामले पर विचार कर सकता है। मौजूदा अनुबंध की समाप्ति से तीन महीने पूर्व, ठेकेदाता बैंक को लिखित रूप में बताएगा कि वह मौजूदा शर्तों और प्रतिबंधों पर अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है या नहीं।



ईमानदारी जमा राशि:

निविदा में निर्दिष्ट कार्य की कुल अनुमानित लागत का 2% ईमानदारी जमा राशि सभी बोलीदाताओं से अग्रिम रूप से एकत्र की जाएगी।

प्रदर्शन बैंक गारंटी:

- (i) अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर की एक प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG), अर्थात् ₹10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये), RBI द्वारा आवंटन की सूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर, अनुबंधकर्ता से प्राप्त की जाएगी, जो अनुबंध की पूरी अवधि के लिए वैध होगी ताकि अनुबंधकर्ता द्वारा अनुबंधित दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित हो सके। PBG का जमा करना निविदा में निर्दिष्ट अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। अनिवार्य परिस्थितियों में PBG जमा करने में देरी होने की स्थिति में, देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर ठेकेदाता के बिलों से वसूल किया जाएगा। PBG की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- (ii) ठेकेदाता/ओं को बैंक को एक अपरिवर्तनीय प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से कम से कम ₹3.0 करोड़ (रु. तीन करोड़ मात्र) के लिए उपलब्ध करानी होगी, जो परिवहित धन के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है।
- (iii) प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) अनुबंध की पूरी अवधि के लिए अनुबंध के दायित्वों के निर्वहन के लिए, बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ होगी। यदि अनुबंध नवीनीकृत किया जाता है, तो ठेकेदाता तदनुसार विस्तारित बैंक गारंटी की व्यवस्था करेगा।
- (iv) बैंक को भेजे जाने वाले रेमिटेंस की राशि के आधार पर बैंक गारंटी की राशि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है और ठेकेदाता अतिरिक्त राशि की बैंक गारंटी उपलब्ध कराएगा।
- (v) अनुबंध अवधि की समाप्ति के 3 महीने बाद, बैंक गारंटी बिना ब्याज के रिलीज की जाएगी, बशर्ते अनुबंध का सफल निष्पादन सुनिश्चित हो और किसी भी संबंधित एजेंसियों या ठेकेदाता के कर्मचारियों से कोई दायित्व न रहा हो।

ठेकेदाता के कर्तव्य:

ठेके की वैधता अवधि के पूर्ण होने तक ठेके को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदाता की जिम्मेदारी रहेगी। यदि ठेकेदाता निर्धारित कार्य को पूरा नहीं करता है, तो उसकी प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) लागू



की जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदाता को अपनी लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देनी होगी, जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

(i) ठेकेदाता अनुबंध अवधि के दौरान सदैव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इश्यू डिपार्टमेंट, बंगलूरु के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक या उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा लिखित या मौखिक रूप से ऐसी मांग प्राप्त होने के 12 घंटे के भीतर, थैलियों में पैक किए गए सिक्कों/बॉक्सों में पैक किए गए मुद्रानोटों के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा। ऐसी मांग ठेकेदाता को टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल या फैक्स आदि के माध्यम से दी जा सकती है। बैंक द्वारा ट्रांसपोर्ट के लिए निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले मौखिक या लिखित रूप में दूसरी सूचना जारी करके मांग सूचना रद्द की जा सकती है। ऐसी स्थिति में बैंक ठेकेदाता को किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति आदि के रूप में भुगतान नहीं करेगा।

(ii) आपातकालीन मामलों में, जिन्हें बैंक के इश्यू डिपार्टमेंट के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैंक द्वारा 12 घंटे की अवधि के स्थान पर तीन घंटे की नोटिस अवधि के साथ मांग की जा सकती है और ठेकेदाता द्वारा इसका अनुपालन किया जाना चाहिए।

(iii) दी गई सूचना का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसमें सामान्य व्यावसायिक घंटों से परे काम करना या निगमन अधिनियम, 1881 के तहत घोषित सार्वजनिक अवकाशों, शनिवार, रविवार या इस संबंध में लागू किसी अन्य विद्यमान विधि/प्रावधान के अंतर्गत घोषित अवकाशों पर काम करना शामिल हो।

(iv) ठेकेदाता किसी भी परिस्थिति में बैंक के कार्गो वाहनों में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं या अन्य किसी भी आइटम को परिवहन नहीं करेगा। सिक्कों की थैलियाँ ठेकेदाता के अपने जोखिम पर सौंपी जाएंगी; उसे उनके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। ठेकेदाता बैंक के परामर्श से अपनी लागत पर सिक्कों का बीमा करवा सकता है।

(v) रिमिटेंस वाहक कंटेनर ट्रकों को सूर्यास्त के बाद मार्ग में निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला पुलिस मुख्यालय या पुलिस अधिकारियों या बैंक द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर रुकना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में रात्रि रुकावट के शुल्क दिए जाएंगे, जो ठेकेदाता द्वारा निविदा के प्राइस बिड II में उद्धृत किए जा सकते हैं।

(vi) ठेकेदाता आवश्यक मार्ग अनुमति प्राप्त करने और सभी संबंधित करों का भुगतान स्वयं करेगा।

(vii) ठेकेदाता अनुबंध को आगे सौंपने या बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध का कोई भाग सबलीज करने से मना करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर बैंक अनुबंध रद्द कर सकता है और PBG लागू कर सकता है।



(viii) यदि किसी वाहन में खराबी आती है, तो ठेकेदाता समान विशेषताओं वाले क्रेन/स्टैंड-बाय/वैकल्पिक वाहन की सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम होगा ताकि खजाने का परिवहन विलंबित न हो।

(ix) ठेकेदाता सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के पास संबंधित RTO द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण पत्र, परमिट, PUC प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, अदा किया गया कर, बीमा आवरण आदि हो। ट्रकों के ड्राइवरो के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठेकेदाता बैंक को उक्त अनुमति, लाइसेंस, प्रमाणपत्रों आदि के अभाव के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, लागत, शुल्क और व्यय के लिए क्षतिपूर्ति देगा।

(x) बैंक को किसी भी समय ठेकेदाता द्वारा तैनात वाहनों का निरीक्षण करने या निरीक्षण करवाने और किसी वाहन/उपकरण को असुरक्षित घोषित कर तत्काल संचालन से हटाने का अधिकार होगा। ठेकेदाता तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(xi) बैंक के कार्य को उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और कुशल तरीके से संपन्न किया जाना चाहिए। सभी कार्य/गतिविधियाँ नोट बॉक्सों, बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि या बैंक के परिसर में उपस्थित सामान्य जनता या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति पहुँचाए बिना की जाएँगी। ठेकेदाता श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदाता के साथ निकट समन्वय में कार्य करेगा।

(xii) ठेकेदाता द्वारा प्रदान किए गए वाहन 10 वर्ष से कम आयु के होंगे और सड़क योग्य एवं अच्छी स्थिति में होंगे। ये वाहन ठेकेदाता के स्वामित्व में होंगे या किराए पर लिए गए होंगे। किराए के वाहनों का किराया अनुबंध अवधि के दौरान समाप्त नहीं होगा।

(xiii) दुर्घटना, आग, चोरी, लूट, खजाने की लूट, परिवहन के दौरान या किसी दोषपूर्ण वाहन या ठेकेदाता के कर्मचारियों की अक्षमता/लापरवाही के कारण हुए किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई ठेकेदाता द्वारा बैंक को की जाएगी।

(xiv) ठेकेदाता वाहनों के अवधि-निर्धारित रखरखाव रिकॉर्ड बैंक को सौंपेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि सभी वाहनों में अग्निशमन यंत्र सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण लगे हों।

(xv) ठेकेदाता के पास किसी भी समय वाहनों की गति का ट्रैकिंग करने हेतु संचार नेटवर्क होना चाहिए। ट्रक की निरंतर ट्रैकिंग के लिए GPS की व्यवस्था होगी।

(xvi) ठेकेदाता द्वारा प्रदान किए गए कंटेनर ट्रक/बंद वाहनों में वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली एवं हूटर की व्यवस्था होगी।

(xvii) ठेकेदाता द्वारा प्रदान किए गए कंटेनर ट्रक/बंद वाहनों में यात्री और कार्गो कॉम्पार्टमेंट दोनों का उच्च-विभेदन क्षमता वाला CCTV कवरेज होगा। संचार पुलिस अधिकारी (पोटदार) और बैंक के प्रतिनिधि के साथ बनाए रखा जाएगा। CCTV कवरेज और भंडारण इस प्रकार होगा कि दोनों



कॉम्पार्टमेंट और खजाने पर पर्याप्त कवरेज हो। रिकॉर्डिंग को किसी परीक्षण/जांच के लिए पुनर्प्राप्त किया जा सकेगा। यह अंतिम निर्णय बैंक का होगा कि कंटेनर ट्रक उक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं।

भुगतान एवं कर:

बिलों के संबंध में प्रत्येक कार्गो के लिए मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

(i) ठेकेदाता को इस समझौते की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क दिया जाएगा। प्रस्तावित शुल्क निश्चित हैं और संपूर्ण अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी आधार पर बढ़ाए नहीं जा सकते और ठेकेदाता द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जाएगा।

(ii) अनुबंध मूल्य स्थिर एवं संचालन शुल्कों सहित सर्वांगीण होगा, जो कार्य के दायरे, आपूर्ति किए गए वाहन और ड्राइवर्स सहित अन्य कर्मचारियों का वेतन/यूनिफॉर्म/भोजन/भत्ते आदि, ईएसआईसी भुगतान, ईपीएफ भुगतान, बोनस, ग्रेचुटी, बीमा एवं ओवरटाइम वेतन, कर, पार्किंग शुल्क, टोल गेट शुल्क आदि समाहित करेगा।

(iii) बैंक को भुगतानों के बाद की जांच या तकनीकी परीक्षण द्वारा पाए गए अतिरिक्त भुगतानों को वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।

(iv) अनुबंध के तहत ठेकेदाता द्वारा बैंक को देय किसी भी क्षतिपूर्ति या अन्य राशि को ठेकेदाता के बकाया भुगतानों में से काटा जाएगा। PBG को अंतिम सहारा के रूप में लागू किया जा सकता है।

(v) यदि किसी दायित्व के उदय होने के संबंध में कोई विवाद हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेंगलूरु के क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-प्रभारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अयोग्यता/ समाप्ति/ दंड:

(i) यदि कोई ठेकेदाता बैंक द्वारा अनुबंधों की जांच, तुलना, मूल्यांकन एवं आवंटन संबंधी निर्णय पर राजनीतिक या अन्य बाह्य प्रभाव डालने या किसी प्रकार के दबाव के लिए कोशिश करता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदाता का ठेका अस्वीकार किया जा सकता है तथा उसे न्यूनतम एक वर्ष (अधिकतम तीन वर्ष तक विस्तारित) के लिए काली सूची में डाला जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसी घटनाएँ अनिर्धारित रहती हैं लेकिन बाद में पता चलती हैं, तो तत्काल प्रभाव से अयोग्य ठहराया जाएगा।

(ii) कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को तीन महीने की लिखित सूचना देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।



(iii) यदि ठेकेदाता द्वारा बैंक के द्वारा जारी किसी भी वाहन आपूर्ति संबंधी मांग या अनुबंध के निर्देशों का पालन न करने के कारण विलंब होता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेंगलूरु के इश्यू डिपार्टमेंट के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी इसे दंडार्ह गंभीर उल्लंघन मानते हैं, तो उक्त अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-प्रभारी के परामर्श से प्रत्येक घटना के लिए ठेकेदाता पर 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) तक का दंड लगा सकते हैं।

(iv) यदि वारंटी या निरंतर विलंब होता है या ठेकेदाता द्वारा अनुबंध के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, तो बैंक तत्काल प्रभाव से अनुबंध समाप्त कर सकता है, बशर्ते इसकी लिखित सूचना इश्यू डिपार्टमेंट के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी द्वारा क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-प्रभारी की मंजूरी से दी गई हो, चाहे इसके लिए पहले दंड लगाया गया हो या नहीं।

(v) अनुबंध की निरंतरता मुख्य रूप से ठेकेदाता के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो तीन महीने की लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जाएगा।

(vi) यदि ठेकेदाता लगातार 3 से अधिक अवसरों पर सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराता है, तो बैंक कोई भी सूचना दिए बिना अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रखता है। ऐसी स्थिति में ठेकेदाता क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता।

(vii) यदि ठेकेदाता पर कुल अनुबंध मूल्य का 5% से अधिक दंड लगाया जाता है, तो प्रारंभिक इक्कीस महीने की अवधि से अधिक का विस्तार नहीं किया जाएगा।

विधिक प्रावधानों का पालन:

ठेकेदाता संबंधित राज्य/देश में लागू सभी विधिक प्रावधानों का पालन करेगा। अपनी लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी कानूनी जटिलता के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेदारी ठेकेदाता की होगी।

(i) ठेकेदाता को श्रम, कर, श्रमिक सुरक्षा, बाल एवं महिला श्रमिकों, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। वह GST अधिकारियों/आयकर/पैन/ईपीएफ/ईएसआई अधिकारियों/भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908/श्रम लाइसेंस आदि के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

(ii) ठेकेदाता संबंधित राज्यों में लागू मोटर वाहन अधिनियमों एवं नियमों का पालन करेगा।

(iii) ठेकेदाता अपने श्रमिकों को केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई), भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेचुटी आदि का भुगतान करेगा।



(iv) श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। इसके अलावा, ईपीएफ अधिनियम, 1952 के अनुसार भविष्य निधि, भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत बोनस, ईएसआई अधिनियम के अनुसार बीमा आदि दिया जाएगा। यदि ईएसआई लागू नहीं है, तो ठेकेदाता श्रमिकों के लिए कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत बीमा का भुगतान करेगा। ईपीएफ खाता वैध होना चाहिए। किसी भी विधिक भुगतान संबंधी शिकायत की स्थिति में, राशि बिल/बैंक गारंटी से काटी जाएगी।

(v) ठेकेदाता वर्तमान विधानों के अनुसार सभी अभिलेखों को अद्यतन रखेगा तथा आवश्यकता पर प्रबंधन/विधानिक प्राधिकारियों को सौंपेगा।

(vi) ठेकेदाता बैंक के कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान विवरण त्रैमासिक आधार पर बैंक को सौंपेगा। नकद भुगतान बैंक अधिकारी की उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर के साथ किया जाएगा, या बैंक खाते में जमा कर बैंक स्टेटमेंट सौंपी जाएगी।

(vii) बैंक (मुख्य नियोक्ता) ठेकेदाता द्वारा नियुक्त श्रमिकों को रोजगार सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि ठेकेदाता के दायित्व के अभाव के कारण बैंक को किसी राशि का भुगतान करना पड़ता है, तो वह राशि ठेकेदाता से ऋण के रूप में वसूली जाएगी।

(viii) ठेकेदाता यौन उत्पीड़न कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध एवं निपटान) अधिनियम, 2013 का पूर्ण पालन सुनिश्चित करेगा। यदि किसी शिकायत की स्थिति में, ठेकेदाता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष कार्रवाई की जाएगी।

(ix) बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध ठेकेदाता के कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा ली जाएगी।

(x) यदि ठेकेदाता के कर्मचारियों द्वारा यौन हिंसा सिद्ध होती है, तो बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति ठेकेदाता द्वारा वहन की जाएगी।

गोपनीयता खंड:

ठेकेदाता बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित किसी भी जानकारी, सामग्री या विवरण को, जो इस समझौते से संबंधित अनुबंधित दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदाता के ज्ञान या कब्जे में आती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और सर्वदा उसे सर्वोच्च गोपनीयता के साथ रखेगा। ठेकेदाता अनुबंध के विवरणों को निजी एवं गोपनीय मानेगा, सिवाय उस सीमा के जिसकी आवश्यकता अनुबंध के तहत दायित्वों के निर्वहन या लागू कानूनों का पालन करने के लिए हो। बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना ठेकेदाता किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका



या अन्यत्र कार्यो के किसी भी विशिष्ट विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित होने देने या प्रकट नहीं करेगा। यदि कोई गोपनीय जानकारी प्रकट होती है और बैंक को कोई हानि होती है, तो ठेकेदाता उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त नियमों का उल्लंघन अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने एवं कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार रखेगा। ठेकेदाता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उपयुक्त कदम उठाएगा ताकि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गोपनीय रखने के दायित्व का पूर्ण पालन हो सके। गोपनीयता से संबंधित दायित्व अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति के कारणों के बावजूद जारी रहेंगे।

श्रमिक सुरक्षा एवं बीमा:

- (a) ठेकेदाता अपने कर्मचारियों की सुरक्षा, सुरक्षा एवं बीमा/जीवन बीमा का एकमात्र एवं पूर्ण उत्तरदायी होगा, जो संचालन एवं रखरखाव कार्यो पर कार्यरत हैं।
 - (b) ठेकेदाता अपनी लागत पर, परंतु बैंक द्वारा अनुमोदित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार, अनुबंध में निर्दिष्ट जोखिमों एवं कवरेज के लिए बीमा कराएगा तथा उसे बनाए रखेगा।
 - (c) ठेकेदाता यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य करते समय उसके श्रमिकों द्वारा सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
 - (d) यदि कार्य करते समय या निरीक्षण के दौरान किसी भी श्रमिक द्वारा कोई घातक चोट/मृत्यु होती है, तो बैंक किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
 - (e) उद्धृत दरें उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी जहाँ सेवा प्रदान की जाती है, तथा सभी विधिक दायित्वों को शामिल करेंगी।
 - (f) ठेकेदाता अनुबंध के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के दायित्वों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, तथा बैंक उन कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- ठेकेदाता यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशेड़ी न हों तथा बैंक के हितों के विरुद्ध कोई भी हानिकारक गतिविधि में संलग्न न हों। ठेकेदाता अपने द्वारा तैनात किए गए सभी श्रमिकों के लिए पुलिस सत्यापन करवाएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए गए श्रमिकों का चरित्र सदाचारी हो।

विवाद निपटान तंत्र एवं न्यायाधिकरण:



- (a) यदि बैंक और ठेकेदाता के बीच किसी प्रकार का विवाद अनुबंध या कार्य के निष्पादन से संबंधित उत्पन्न होता है, तो पक्ष एक-दूसरे को लिखित सूचना देने के 30 दिनों के भीतर पारस्परिक चर्चा के माध्यम से समझौते से उसका निपटारा करने का प्रयास करेंगे।
- (b) यदि उक्त अवधि के भीतर समझौता नहीं होता है, तो विवाद अंततः आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित) के अनुसार न्यायाधिकरण या सुलह द्वारा हल किया जाएगा। न्यायाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे और अनुबंध पर लागू होंगे।

आवश्यक दस्तावेज:

सभी बोलीदाताओं को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज अपनी बोली के साथ संलग्न करने चाहिए:

1. मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियाँ जिसमें संस्था की विधिक स्थिति, पंजीकरण स्थान एवं मुख्य कार्यालय का उल्लेख हो; बोली दाता को प्रतिबद्ध करने वाले हस्ताक्षरकर्ता का लिखित प्राधिकार पत्र। उपयुक्त व्यावसायिक लाइसेंस/पंजीकरण:
 - (a) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
 - (b) पैन
 - (c) ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस की प्रतियाँ
 - (d) निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत वैध लाइसेंस की प्रति (सुरक्षा सेवा के मामले में)
2. पिछले तीन वर्षों में प्रदान की गई सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।
3. पिछले तीन वर्षों की सेवाओं के अनुभव, चालू अनुबंधों के विवरण तथा ग्राहकों के नाम/पते जिनसे सत्यापन किया जा सके।
4. इस अनुबंध के लिए पर्याप्त चालू पूंजी के साक्ष्य (क्रेडिट लाइन तक पहुंच एवं अन्य वित्तीय संसाधन)।
5. पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (लाभ-हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा)।
6. बैंक खाता विवरण।
7. बोलीदाता के बैंकर्स से संदर्भ लेने का अधिकार।
8. बोलीदाता द्वारा लिए गए किसी विवाद/मुकदमे की जानकारी (यदि हो)।
9. अनुबंध मूल्य के 10% से अधिक के घटकों को सबकॉन्ट्रैक्ट करने के प्रस्ताव (यदि कोई हो)।



बोलियों की जांच/मूल्यांकन प्रक्रिया:

टेंडर दो भागों में विभाजित होंगे, अर्थात भाग I. **"कार्य का दायरा एवं वाणिज्यिक शर्तें"** तथा भाग II. **"मूल्य बोली"**, जो ऑनलाइन बिडिंग पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे:

(i) भाग I: **कार्य का दायरा एवं वाणिज्यिक शर्तें**

निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:

a. ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये मात्र) की ईमानदारी जमा राशि, जो NEFT/RTGS/बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा की जाएगी। इस जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

b. कंपनी/फर्म के मुहरित प्राधिकार पत्र/अधिकार-पत्र, जिसमें टेंडर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम उल्लिखित हो।

c. टेंडर के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य एवं दस्तावेज।

d. अंगीकारपत्र, जिसमें बताया गया हो कि बोलीदाता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का जानबूझकर डिफॉल्टर नहीं है तथा कंपनी/व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

e. **मूल्य विवरण अनुसूची के अनुसार सभी घटकों को सूचीबद्ध करते हुए "मास्कड संकेतात्मक मूल्य बोली" (किसी भी मूल्य का उल्लेख न करते हुए) ।**

f. अन्य कोई जानकारी जो बोलीदाता देना चाहे।

(ii) भाग II: **"मूल्य बोली"** भारतीय रुपये में केवल मूल्य विवरण (अंकों एवं शब्दों में) विस्तृत रूप से जमा किया जाएगा। भाग II में अन्य कोई संलग्नक अनुमत नहीं है। भाग II में पाए जाने वाले किसी भी शर्तों/परिवर्तन को अमान्य माना जाएगा। उद्धृत दरें समाप्त कार्य के लिए दृढ़ एवं बाध्यकारी होंगी, बिना किसी वृद्धि के, तथा सभी करों, सेस, शुल्क एवं अन्य लागू अधिभारों सहित होंगी।

(iii) भाग I का खुलासा उपस्थित बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा।

(iv) टेंडर की पहले समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे टेंडर दस्तावेज में निर्दिष्ट मूल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं। मूल आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले टेंडर को अनुत्तरदायी मानकर अनदेखा किया जाएगा।

(v) भाग I की समीक्षा के बाद पात्र घोषित बोलीदाताओं के भाग II (मूल्य बोली) को अगले कार्यदिवस या बैंक द्वारा सूचित किसी अन्य तिथि को खोला जाएगा।

(vi) बैंक उस बोलीदाता/बोलीदाताओं को अनुबंध देगा जिसकी बोली टेंडर दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के प्रति सार्थक रूप से अनुत्तरदायी पाई जाएगी तथा जिसने अनुमानित मूल्य के अनुरूप युक्तिसंगत



बोली मूल्य प्रस्तुत किया होगा, जिसमें अनुबंध के सभी घटकों के मूल्य को ध्यान में रखकर L1 निर्धारित किया जाएगा।

(vii) टेंडर का मूल्यांकन टेंडर दस्तावेज़ में निर्दिष्ट शर्तों एवं बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत शर्तों के आधार पर किया जाएगा। टेंडर की समीक्षा एवं मूल्यांकन के दौरान कोई नई शर्त नहीं जोड़ी जाएगी।

(viii) कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निम्नतम बोली या किसी भी टेंडर को स्वीकार करने से इनकार करने तथा टेंडरिंग प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी या सभी टेंडरों को, पूर्ण या आंशिक रूप से, बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(ix) कार्य का वितरण वर्ष के दौरान कवर किए गए किलोमीटर (KMs) के आधार पर किया जाएगा। वितरण निम्नानुसार होगा:

a) यदि एक से अधिक L1 बोलीदाता हैं, तो कार्य को समान अनुपात में (50:50, 33.3:33.3:33.4 आदि) वितरित किया जाएगा।

b) अन्यथा, बैंक के विवेकाधीन, कार्य को L1 और L2 बोलीदाताओं के बीच लगभग 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जा सकता है, बशर्ते L2 बोलीदाता L1 द्वारा स्वीकृत दरों को स्वीकार करें।

c) यदि L2 बोलीदाता L1 की दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं है, तो शेष 40% कार्य के लिए L3, L4 आदि बोलीदाताओं को क्रमानुसार अवसर दिया जाएगा।

d) यदि L2, L3, L4 आदि कोई भी बोलीदाता L1 की दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं है, तो शेष 40% कार्य को L1 बोलीदाता को भी आवंटित किया जा सकता है।

भाग-V

भाग I - कार्य का दायरा और व्यावसायिक स्थितियां

तकनीकी बोली प्रपत्र

(नोट- ई-टेंडरिंग पोर्टल में भरकर अपलोड किया जाना है)

क्रम संख्या	विवरण	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत जानकारी
1	निविदाकर्ता का नाम	
2	चाहे निविदाकर्ता एक कंपनी, साझेदारी फर्म या मालिकाना चिंता हो	



3	प्रोपराइटर/साझेदारों/निदेशकों का नाम (संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करनी हैं)			
4	अनुबंध निष्पादित करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नाम और पदनाम			
5	कंपनी/फर्म/मालिकाना चिंता का पंजीकृत पता और संपर्क पता			
6	टेलीफोन नंबर (ओं)	कार्यालय	रिहायश	मोबाइल
7	ई-मेल आईडी			
8	बेंगलूरु के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निविदाकर्ता के कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का नाम और पता			
9	समान कार्य करने का अनुभव (वर्षों की संख्या) (प्रमाणपत्र संलग्न करने हैं)			
10	पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार (लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न करने हैं)	2022-23 (रु. _____ लाख में)	2023-24 (रु. _____ लाख में)	2024-25 (रु. _____ लाख में)
11	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार निवल मूल्य (प्रति संलग्न करनी है)			
12	वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट धारण करना है या नहीं (वाहनों के राष्ट्रीय परमिट की फोटोकॉपी संलग्न करनी है)			
13	बैंक का नाम, पता, आईएफएससी कोड, खाता प्रकार और संख्या (रद्द किए गए चेक की प्रति संलग्न करनी है)			
14	पैन/टैन/जीएसटीएन नंबर (दस्तावेज संलग्न करना है)			
15	बैंक के अधिकारियों द्वारा आवश्यकता संप्रेषित करने के लिए फोन नंबर	लैंडलाइन-	मोबाइल-	फ़ैक्स-

16							
----	--	--	--	--	--	--	--



18. क्या परिवहन वाहनों के ड्राइवरो के चरित्र एवं पृष्ठभूमि की पुलिस द्वारा जाँच एवं प्रमाणित की गई है? – हाँ / नहीं

19. (a) क्या ठेकेदाता को RBI या राज्य/केंद्र सरकार विभाग द्वारा कभी ब्लैकलिस्ट किया गया है? – हाँ / नहीं

(यदि फर्म या इसके निदेशकों को RBI द्वारा आवेदन करने से वंचित किया गया है या ब्लैकलिस्ट किया गया है या किसी आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

(b) क्या फर्म या इसके निदेशकों के विरुद्ध किसी अदालत में कोई मामला लंबित है? – हाँ / नहीं यदि हाँ, तो विवरण दें (अलग पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है)

20. क्या अनुबंध की शर्तें ठेकेदाता के लिए स्वीकार्य हैं? – हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो इस टेंडर दस्तावेज के अनुभाग-III एवं अनुभाग-IV में दी गई अनुबंध की शर्तों की प्रति, जिस पर प्रत्येक पृष्ठ पर ठेकेदाता द्वारा दस्तखत किए गए हों, टेंडर के साथ जमा की जानी चाहिए।

21. RBI, बेंगलूरु खाते में NEFT के माध्यम से जमा की गई ईमानदारी राशि का विवरण:

NEFT विवरण:

IFSC नं. RBIS0BGPA01 (दोनों शून्य)

खाता नं. – 8692299

खाता नाम: Earnest Money Deposit Received, RBI Bengaluru

राशि: ₹4,00,000/- (केवल चार लाख रुपये)

भुगतान संबंधी साक्ष्य (ट्रांजेक्शन नंबर वाली स्कैन की गई प्रति) संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य है।

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ट्रांजेक्शन नंबर सहित भुगतान साक्ष्य निम्न पतों पर भेजें:

issuebangalore@rbi.org.in; remittanceblr@rbi.org.in

22. **घोषणा:** – ठेकेदाता द्वारा जमा किए जाने वाले विवरण

(a) मैं/हम यह भी सहमत हैं कि हमारी बोली भाग-I खोलने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी, और यह वैधता अवधि बैंक और मेरे/हमारे बीच लिखित में पारस्परिक सहमति से किसी भी अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।



(b) यदि यह बोली स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम यहाँ घोषणा करते हैं कि हम सभी टेंडर की शर्तों का पालन करेंगे और इसके अनुपालन में विफल रहने पर, आप या आपके उत्तराधिकारी, अधिकारी या नामित व्यक्ति को निर्दिष्ट राशि जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

(c) मैं/हम समझते हैं कि आपको किसी भी बोली को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, और इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं है।

(d) बोली ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों में जमा की गई है: भाग-I वाणिज्यिक शर्तों एवं तकनीकी विवरणों को शामिल करता है, जबकि भाग-II केवल बैंक के प्रारूप में मूल्य बोली शामिल करता है।

(e) मैं/हम द्वारा दी गई सभी जानकारी हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। यदि बाद में कोई जानकारी गलत साबित होती है, तो बैंक उचित दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार रखता है।

(f) मैं/हम समझते हैं कि यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो बोली को किसी भी चरण पर अस्वीकृत किया जा सकता है, और RBI का इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

इस _____ दिन _____ 2026 को

मैसर्स _____ की ओर से एवं उनके लिए

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

दिनांक _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न करनी होगी)



साक्षी:

(1) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

(2) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

भाग VI

तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- (i) अनुभव प्रमाणपत्र।
- (ii) पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।
- (iii) बैंक द्वारा ठीक से सत्यापित सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र, जो नवीनतम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार धनात्मक निट वर्थ दर्शाता हो।
- (iv) फर्म के गठन से संबंधित संबंधित दस्तावेज, जिसमें स्वामी/साझेदारों/निदेशकों का विवरण शामिल हो, जैसा भी मामला हो।
- (v) कंपनी/फर्म की मुहर के साथ टेंडर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर प्राधिकरण/पावर ऑफ अटॉर्नी।
- (vi) उत्तरदायित्व, जिसमें बताया गया हो कि ठेकेदाता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का जानबूझकर डिफॉल्टर नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।



- (vii) लागू होने पर PAN/TAN और GSTN संख्या की प्रतियाँ।
- (viii) बेंगलूरु के नगर निगम क्षेत्र के भीतर कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का विवरण संबंधित दस्तावेजों के साथ।
- (ix) वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों/बीमा प्रतियों/फिटनेस प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ (न्यूनतम 5 वाहन)।
- (x) रोजगार प्राप्त ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की प्रतियाँ।
- (xi) कंपनी के निगमन/पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
- (xii) वाहनों के राष्ट्रीय अनुमतियों की फोटोकॉपियाँ।
- (xiii) ठेकेदाता द्वारा कंपनी की मुहर के साथ दस्तखत किए गए अनुबंध की शर्तों और नियमों (अनुभाग III और अनुभाग IV में दिए गए) की स्वीकृति की प्रति जमा करना।
- (xiv) NEFT के माध्यम से RBI, बेंगलूरु खाते में जमा की गई ईमानदारी राशि का आधार।
- (xv) पिछले एक वर्ष के बैंक स्टेटमेंट।
- (xvi) फर्म के रद्द चेक की प्रति।

नोट:

उपरोक्त सभी दस्तावेजों को ठेकेदाता द्वारा ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से बोली जमा करते समय तकनीकी बोली के साथ जमा/अपलोड किया जाना चाहिए।

यदि ठेकेदाता द्वारा उपरोक्त में से किसी भी दस्तावेज को जमा नहीं किया जाता है, तो बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार में भाग-1 में टेंडर को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।



भाग VII

भाग- I का मूल्यांकन (तकनीकी बोली)

योग्यता मानदंड

इस टेंडर दस्तावेज में पहले निर्धारित अर्हता मापदंडों को पूरा करने वाली तकनीकी बोली को ही विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मापदंडों को भी ध्यान में रखा जाएगा:

क्र. सं.	तकनीकी मूल्यांकन के मापदंड	क्या मापदंडों को पूरा किया गया/आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए (हाँ/नहीं)	क्या भाग-I के लिए अर्ह हैं	टिप्पणी
1	समान कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव			
2	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुबंध के अनुमानित व्यय का कम से कम 30% का औसत वार्षिक टर्नओवर - लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित करना होगा			
3	धनात्मक निट वर्थ - बैंक द्वारा ठीक से सत्यापित सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा			
4	क्या वाहनों के लिए राष्ट्रीय अनुमति धारण की गई है?			
5	क्या परिवहन वाहनों के ड्राइवर्स के चरित्र एवं पृष्ठभूमि की पुलिस द्वारा जाँच एवं प्रमाणित की गई है? (यदि पहले नहीं की गई है, तो अनुबंध प्राप्त करने पर करना अनिवार्य है)			
6	क्या ठेकेदाता को RBI या राज्य/केंद्र सरकार विभाग द्वारा कभी ब्लैकलिस्ट किया गया है?			
7	क्या फर्म या इसके निदेशकों के विरुद्ध किसी अदालत में कोई मामला लंबित है?			
8	क्या ठेकेदाता के लिए टेंडर दस्तावेज के अनुभाग III एवं IV में दिए गए अनुबंध की शर्तें			



	स्वीकार्य हैं? यदि हाँ, तो प्रत्येक पृष्ठ पर दस्तखत के साथ उसकी प्रति जमा करनी होगी।			
9	क्या ठेकेदाता द्वारा बैंक को ₹4,00,000/- की ईमानदारी जमा राशि जमा की गई है? यदि हाँ, तो NEFT विवरण की प्रति संलग्न करनी होगी।			
10	क्या बेंगलूरु के नगर निगम क्षेत्र के भीतर कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का विवरण संबंधित दस्तावेजों के साथ दिया गया है?			

केवल उन्हीं टेंडरों को भाग-I में अर्हता प्राप्त होगी जो उपरोक्त मूल्यांकन मापदंडों को पूरा करते हैं, तथा वे भाग-II अर्थात् वित्तीय बोली के लिए पात्र होंगे। हालाँकि, बैंक को अपने पूर्ण विवेकाधिकार से किसी भी मानदंड को छूट देने का अधिकार है, परंतु यह सभी पर लागू होगी।



भाग- VIII

भाग II - मूल्य बोली

बैंक नोटों / सिक्कों के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में पूर्णतः आवृत कंटेनर ट्रक/वाहनों की आपूर्ति के लिए उद्धृत दरें (जीएसटी और अन्य लागू करों सहित)

नए नोटों/गंदे नोटों के परिवहन के लिए ट्रकों की आपूर्ति				
प्रभावी अवधि: 01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक				
ठेकेदार का नाम :-				दर
1			बाहरी यात्राओं के लिए	
	(i)		10 टन क्षमता वाली लॉरी	
		(क)	कवर की जाने वाली न्यूनतम दूरी (औसतन प्रति दिन) *	275 कि.मी.
		(ख)	दर प्रति किमी	A
2			बीबीएमपी सीमा के भीतर स्थानीय यात्राओं के लिए	
	(i)		10 टन क्षमता वाली लॉरी	
		(क)	तय की जाने वाली न्यूनतम दूरी	40 कि.मी.
		(ख)	प्रति किमी के आधार पर दर उद्धृत की जाएगी	B
		*	नोट	
			*उद्धृत दरें 01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक इक्कीस महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगी। बाहरी यात्राओं के लिए दर/किमी में सभी कर, शुल्क, रात में रुकने का शुल्क और ड्राइवर भट्ट शामिल हैं। दिन की गणना किसी विशेष दिन पर कार्य शुरू होने से लेकर उस तिथि को कार्य पूरा होने तक की जाएगी। यदि वाहन गंदे नोट प्रेषण के साथ लौटता है, तो दिन का एक हिस्सा पूरे दिन के रूप में माना जाएगा। यदि वाहन गंदे नोटों के बिना लौटता है, तो ताजे/गंदे नोटों को उतारने/लोड करने के स्थान से तय की गई वास्तविक दूरी के लिए भुगतान किया जाएगा।	

कंपनी/फर्म के अधिकृत अधिकारी:

हस्ताक्षर (कंपनी/फर्म की मुहर के साथ):



अनुसूची - सिक्कों के परिवहन हेतु ट्रकों की आपूर्ति						
निविदाकर्ता का नाम:						
दरें 01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक प्रभावी होंगी						
1	स्थानीय					
	कर सहित दरें उद्धृत की जानी चाहिए					
		6 टन तक	6 टन से अधिक परंतु 7 टन तक	7 टन से अधिक परंतु 8 टन तक	8 टन से अधिक परंतु 9 टन तक	9 टन से अधिक परंतु 10 टन तक
	RBI से स्थानीय खजानों (बेंगलूरु महानगर क्षेत्र के भीतर) तक सिक्कों के परिवहन एवं डिलीवरी की दरें	40 किमी की न्यूनतम दूरी के आधार पर प्रति किमी दर उद्धृत करें	40 किमी की न्यूनतम दूरी के आधार पर प्रति किमी दर उद्धृत करें	40 किमी की न्यूनतम दूरी के आधार पर प्रति किमी दर उद्धृत करें	40 किमी की न्यूनतम दूरी के आधार पर प्रति किमी दर उद्धृत करें	40 किमी की न्यूनतम दूरी के आधार पर प्रति किमी दर उद्धृत करें
		C	D	E	F	G
2	अन्य शहर					
	RBI से बेंगलूरु महानगर क्षेत्र के बाहर स्थित विभिन्न खजानों (केवल कर्नाटक के भीतर एक तरफा) तक सिक्कों के परिवहन एवं डिलीवरी की दरें	प्रति किमी दर उद्धृत करें	प्रति किमी दर उद्धृत करें	प्रति किमी दर उद्धृत करें	प्रति किमी दर उद्धृत करें	प्रति किमी दर उद्धृत करें
		H	I	J	K	L

कंपनी/फर्म के अधिकृत अधिकारी:

हस्ताक्षर (कंपनी/फर्म की मुहर के साथ):

नोट:



(i) ऊपर दिया गया मूल्य बोली का प्रारूप केवल संदर्भ के लिए है। मूल्य बोली केवल MSTC ई-टेंडरिंग पोर्टल पर भरी जानी चाहिए।

(ii) L1 बोली ऊपर दिए गए प्रारूपों में उद्धृत सभी दरों के सरल औसत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। सिक्का परिवहन के लिए उद्धृत दरों को 90% का भार तथा बैंक नोट परिवहन के लिए 10% का भार दिया जाएगा।

(iii) L1 बोलीदाता की गणना का सूत्र निम्नलिखित है:

$$(A*0.01+B*0.14+C*7.03+D*0.87+E*1.21+F*0.87+G*0.34+H*42.12+I*20.25+J*14.63+K*7.72+L*4.81)/$$

100